विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L0026712

श्री मगनलाल यादव, – आवेदक
म.न. 11 गली नं. 1,
रिसालदार कालोनी, छोला नाका,
भोपाल (म.प्र.)

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री,
शहर संभाग (उत्तर)
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, – अनावेदक
भोपाल (म.प्र.)

(आदेश दिनांक 04.04.2013)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र) (जिसे आगे फोरम के नाम से संबोधित किया गया है) के प्रकरण क्रमांक C0073511 श्री मगनलाल यादव, विरूद्ध कार्यपालन यंत्री, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल में पारित आदेश दिनांक 30.03.2011 के विरूद्ध यह आवेदन आवेदक उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया है ।

2. आवेदक उपभोक्ता ने दिनांक 23.02.11 को फोरम के समक्ष इस आशय की शिकायत की थी कि वह विद्युत उपभोक्ता है तथा उसके परिसर में लगा हुआ विद्युत मीटर 1–2 वर्षों से तेज चल रहा है । श्याम इण्डस पावर साल्यूशन (फ्रेंचाईजी) द्वारा उक्त मीटर की जांच कराई गई थी, परन्तु मांगे जाने पर भी उसे रिपोर्ट नहीं दी थी । 2 जनवरी, 2010 को उसने मीटर की जांच के लिए निर्धारित शुल्क अदा कर आवेदन–पत्र दिया था, अतः उसे मीटर की जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए और उसे जो अतिरिक्त चार्ज दिया गया है, उसे माफ किया जावे ।

3. अनावेदक की ओर से फोरम के समक्ष उपभोक्ता की शिकायत का लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया । आदेश पत्र दिनांक 18.03.11 के अनुसार उक्त दिनांक को मीटर की टेस्ट रिपोर्ट दिनांक 15.03.11 प्रस्तुत की गई थी तथा अनावेदक ने यह स्वीकार किया था कि जनवरी, 2010 से मार्च, 2011 तक के बीच विद्युत प्रदाय संहिता की धारा 9.17 के अनुसार अक्टूबर 09 से दिसम्बर 10 की खपत की मासिक औसत के आधार पर उपभोक्ता के बिल पुनरीक्षित कर दिये जायेंगे, उपभोक्ता से मीटर का किराया नहीं लिया जाएगा, सरचार्ज देय राशि पर लिया जाएगा, इस दौरान जो राशि उपभोक्ता द्वारा जमा की गई है, उसका समायोजन कर अतिरिक्त मांग या क्रेडिट देते हुए अप्रैल 11 का बिल जारी किया जाएगा ।

4. फोरम ने उभयपक्ष के मौखिक तर्क सुने जाने के बाद यह निष्कर्ष दिया है कि उपभोक्ता द्वारा दिनांक 02.01.10 को मीटर की जांच कराने का आवेदन देने के बाद उक्त मीटर की जांच 15.03.11 को कराई गई है, परन्तु जांच के समय उपभोक्ता या उसका प्रतिनिधि मौजूद नहीं था । यह जांच रिपोर्ट उपभोक्ता को दिनांक 18.03.11 को उपलब्ध कराई गई है । उपभोक्ता द्वारा मीटर कब से तेज चल रहा है यह साबित नहीं किया गया है । अतः दिसम्बर 09 से उसका मीटर खराब माना जाता है । फोरम ने उपभोक्ता से मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 की धारा 9.17 के प्रावधानों के अनुसार विद्युत प्रभार की वसूली किए जाने और मीटर का किराया न लिए जाने का निर्देश दिया है ।

5. फोरम के उक्त आदेश से व्यथित होकर उपभोक्ता ने यह अभ्यावेदन इस आधार पर किया है कि मीटर की जांच कराने पर मीटर को 71.99 प्रतिशत तेज चलना पाया गया है । फोरम ने जो निर्देश दिया है उस निर्देश के अनुसार उसे जो संशोधित बिल जारी किया गया है उसमें पूर्व में जारी बिल के अतिरिक्त 7025/– रू. का अतिरिक्त भार उपभोक्ता पर आ रहा है । अतः मीटर की जांच रिपोर्ट के आधार पर जिस प्रतिशत की दर से मीटर ज्यादा गति से चलता हुआ पाया था, उस मान से उसके बिलों का समायोजन किया जावे ।

6. उपभोक्ता के इस अभ्यावेदन का अनावेदक तथा अनावेदक के फ्रेंचाईजी की ओर से पृथक–पृथक जवाब दिया गया है । उनके जवाब का मुख्य आधार यह है कि फोरम के आदेश के अनुसरण में उपभोक्ता के बिलों का समायोजन किया जा चुका है । उपभोक्ता अन्य कोई सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । उसके द्वारा बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा है तथा उससे बचने के लिए ही उसने यह आवेदन पेश किया है ।

विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या – उपभोक्ता के परिसर में लगा हुआ मीटर जिस मान से तेज गति से चलता हुआ पाया गया था उसी मान से उपभोक्ता विद्युत बिलों के प्रभार में छूट पाने का अधिकारी है ?

कारणों सहित आदेश इस प्रकार है :–

7. मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 की धारा 8.6 के प्रावधानों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता के परिसर में मीटर लगाया जाता है । उक्त मीटर का मासिक किराया उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को प्रदान किया जाता है । मीटर को सही कार्य स्थिति में रखने का दायित्व अनुज्ञप्तिधारी पर होता है और मीटर खराब रहने की अवधि का किराया अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता से नहीं ले सकता है । इस मामले में उपभोक्ता ने 2 जनवरी, 10 को मीटर की जांच कराने की शिकायत की थी अर्थात् दिसम्बर, 2009 से उसका मीटर खराब था । दिसम्बर, 09 से दिनांक 18.03.11 तक जब तक मीटर की टेस्ट रिपोर्ट उपभोक्ता को उपलब्ध नहीं कराई गई थी तथा मार्च, 11 तक नया मीटर नहीं लगाया था ।

8. आवेदक उपभोक्ता ने मीटर को 71.99 प्रतिशत तेज गति से चलने का अभिवाक अपने अभ्यावेदन में लिया है । इस तथ्य की पुष्टि टेस्ट रिपोर्ट दिनांक 15.03.11 से होती है । उक्त रिपोर्ट के अनुसार मीटर 71.99 प्रतिशत तेज गति से चल रहा था ।

9. मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 की धारा 9.17 के प्रावधानों के अनुसार जिस अवधि में मीटर कार्यरत नहीं रहा हो उस अवधि के विद्युत प्रभार की वसूली के लिए पूर्व 3 तीन मीटर वाचन चक्रों के मासिक औसत के आधार पर बिल बनाए जाने का प्रावधान किया गया है । इस मामले में उपभोक्ता का मीटर कार्यरत नहीं था यह स्थिति नहीं है । इसके विपरीत उपभोक्ता के परिसर में लगा हुआ मीटर कार्यरत था तथा उपभोक्ता ने यह शिकायत की थी कि उसका मीटर तेज गति से चल रहा है । उपभोक्ता की इस शिकायत की पुष्टि मीटर की जांच कराने पर हुई थी । मीटर की यह जांच अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता की अनुपस्थिति में कराई गई थी । अतः ऐसी जांच रिपोर्ट अनुज्ञप्तिधारी पर बंधनकारी स्वरूप की है । मीटर की जांच कराने पर यदि मीटर को तेज गति से चलना पाया गया था तो यह नहीं कहा जा सकता कि मीटर कार्यरत नहीं था । मीटर को तेज गति से चलना पाया जाने पर यही साबित होता है कि उपभोक्ता का मीटर कार्यरत था । यदि उपभोक्ता का मीटर कार्यरत था उस स्थिति में संहिता की धारा 9. 17 के प्रावधान उपभोक्ता की शिकायत के संबंध में लागू नहीं होंगे और फोरम ने संहिता की धारा 9.17

के आधार पर पिछले 3 मीटर वाचन चक्रों के मासिक औसत के आधार पर बिल पुनरीक्षित किए जाने का जो निर्देश दिया है, वह विधिसंगत प्रतीत नहीं होता है ।

10. विद्युत प्रदाय संहिता तथा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत वितरण के संबंध में जो अनुपालन और मापदण्ड विनियम निर्मित किए गए हैं उनका अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि यदि विद्युत ऊर्जा की माप करने वाला यंत्र मीटर तेज गति से चल रहा है या धीमी गति से चल रहा है तो उसकी जांच उपभोक्ता द्वारा तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कराई जा सकती है । यदि उक्त मीटर निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं है तो उसके स्थान पर नया मीटर प्रतिस्थापित करने का अधिकार अनुज्ञप्तिधारी को है । उपभोक्ता के परिसर में जो मीटर लगाया गया है यदि उसके बारे में यह संदेह हो कि मीटर धीमी गति से चल रहा है तो ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उस मीटर की जांच कराई जा सकती है और जांच रिपोर्ट में यदि मीटर धीमी गति से चलने की पुष्टि होती है तो निश्चित रूप में जिस अवधि में मीटर धीमी गति में चला है उस अवधि के ऊर्जा प्रभार का मूल्यांकन ऐसी रिपोर्ट के आधार पर होगा तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा प्रभार की मांग उपभोक्ता से की जा सकती है । इस मामले में उपभोक्ता द्वारा दिनांक 02.01.10 को इस बात की शिकायत अनुज्ञप्तिधारी से की गई थी कि मीटर तेज गति से चल रहा है । यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्धारित कालावधि में मीटर की जांच करा ली गई होती अथवा नया मीटर प्रतिस्थापित कर दिया जाता तो उपभोक्ता की शिकायत दूर हो जाती और सही ऊर्जा प्रभार की जानकारी भी प्राप्त हो जाती, परन्तु 02.01.10 को शिकायत करने के बाद 1 वर्ष तक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मीटर की जांच नहीं कराई गई थी । अनुज्ञप्तिधारी ने मीटर की जांच 15.03.11 को अर्थात् शिकायत के 14 माह बाद उस स्थिति में कराई गई थी, जब उपभोक्ता ने फोरम के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की थी । ऐसी स्थिति में दिसम्बर, 2009 से उपभोक्ता का मीटर तेज गति से चलना पाये जाने पर जब तक नया मीटर प्रतिस्थापित नहीं किया गया अर्थात् मार्च, 11 तक अनुज्ञप्तिधारी ने उपभोक्ता से जो विद्युत प्रभार वसूल किया है उसमें 71.99 अर्थात् 72 प्रतिशत की कमी किया जाना चाहिए ।

11. उपभोक्ता का मीटर 72 प्रतिशत तेज गति से चल रहा था, इसका अर्थ यह होता है कि उपभोक्ता द्वारा प्रतिमाह जितने यूनिट विद्युत ऊर्जा का वास्तविक उपयोग किया जाता था मीटर उसे 72 प्रतिशत अधिक दर्शाता था । ऐसी स्थिति में यदि प्रतिमाह उपभोक्ता द्वारा उपभोग किए गए विद्युत ऊर्जा में 72 प्रतिशत की कमी कर दी जाए तो उपभोक्ता द्वारा वास्तविक रूप से उपभोग की गई ऊर्जा की जानकारी प्राप्त की जा सकता है । उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई उक्त वास्तविक ऊर्जा का प्रभार ही उससे लिया जाना चाहिए, जबकि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता से ऊर्जा का प्रभार 72 प्रतिशत अधिक लिया गया है ।

निष्कर्ष

12. उपरोक्त विवेचन से यह पाया जाता है कि उपभोक्ता द्वारा दिनांक 02.01.10 को मीटर तेज गति से चलने की शिकायत करने के बाद भी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मार्च, 11 तक उपभोक्ता के मीटर की जांच नहीं कराई गई थी, नया मीटर प्रतिस्थापित नहीं किया गया था । अतः दिसम्बर, 2009 से मार्च, 2011 तक की अवधि के लिए अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता के परिसर में लगे हुए मीटर का किराया वसूल पाने का अधिकारी नहीं है । यह भी साबित पाया जाता है कि दिसम्बर, 09 से मार्च, 11 तक उपभोक्ता से जो विद्युत प्रभार वसूल किया गया है वह वास्तविक रूप से उपभोक्ता द्वारा उपयोग किए गए विद्युत की मात्रा से 72 प्रतिशत अधिक है । अतः उक्त अवधि में उपभोक्ता से जो प्रभार वसूल किया गया है उसमें 72 प्रतिशत की कमी लाया जाना आवश्यक है ।

13. अतः उपभोक्ता के अभ्यावेदन को स्वीकार किया जाता है । फोरम के आदेश दिनांक 30.03.11 को अपास्त किया जाता है तथा अनुज्ञप्तिधारी अनावेदक को निर्देश दिया जाता है कि दिसम्बर, 2009 से मार्च, 2011 तक प्रतिमास उपभोक्ता से जो विद्युत प्रभार वसूल किया गया है, उसमें 72 प्रतिशत की कमी की जावे तथा इस अवधि के लिए उपभोक्ता को पुनरीक्षित बिल दिया जाए । उपभोक्ता द्वारा इस प्रयोजन के लिए जो अधिक राशि जमा की गई है, उसका समायोजन अप्रैल, 2011 के बाद के बिलों में किया जावे ।

14. अनुज्ञप्तिधारी दिसम्बर, 2009 से मार्च, 2011 तक उपभोक्ता के परिसर में लगे हुए मीटर का किराया वसूल पाने का अधिकारी नहीं है । अतः यदि इस अवधि के लिए मीटर का किराया वसूल किया गया हो तो अप्रैल, 2011 के बाद के बिलों में उक्त किरायों का समायोजन किया जावे ।

15. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल